पत्र समूह संस्थापक : स्व. श्री रामगोपाल माहेश्वरी

नवभारत

1934 से

सदैव अपने पाठकों के साथ

मुंबई, गुरुवार 5 मई 2022

अवार्ड

'रोटरी क्लब ऑफ नवी मुंबई समेरीटंस' ने जानवरों की रक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाली एक्टिविस्ट एड. सिद्धविद्या को 'वोकेशनल एक्सीलेंस' अवार्ड प्रदान किया. एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ महाराष्ट्र की मेम्बर रह चुकी सिद्धविद्या को इस मौके पर 'एंजेल इन ब्लैक कोट' के नाम से भी नवाजा गया.

Scanned with OKEN Scanner

www.enavabharat.com
4 राज्य । 3 भाषाएं । 21 संस्करण
मुंबई, शनिवार
25.2.2023
पृष्ठ : 14 । मूल्य : ₹ 5.00 । फाल्गुन शुक्ल 6
/enavabharat

सदैव अपने पाठकों के साथ

नवभारत

1934 से

पहल | कुत्तों को खाना खिलाकर हमने हल की समस्या, हाई कोर्ट के जज ने पेश की परिसर की मिसाल

आवारा कुत्तों को खाना मिले तो हिंसक नहीं होंगे : HC

■ मुंबई, नवभारत न्यूज नेटवर्क. बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर आवारा कुत्तों को खाना और देखभाल दी जाए तो वे आक्रामक नहीं होंगे और इंसानों पर हमला नहीं करेंगे. हाई कोर्ट ने बुधवार को नवी मुंबई स्थित सीवुड्ड एस्टेट लिमिटेड के प्रबंधन और आवारा कुत्तों को खिलाने वाले निवासियों के बीच विवाद की सुनवाई के दौरान यह बातें कहीं. अदालत ने कहा कि उसने बॉम्बे उच्च न्यायालय के परिसर में आवारा कुत्तों को खाना खिलाकर उनकी समस्या का निवारण किया है. जस्टिस गौतम पटेल ने कहा कि कोई भी कुत्ते या बाघ को यह नहीं बता सकता है कि इसकी क्षेत्रीय सीमाएं क्या हैं, ये सीवुड्ड एस्टेट की आपकी सीमाओं को नहीं जानते हैं. हमें बॉम्बे हाईकोर्ट में यह समस्या हुई थी. हमने उन्हें खिलाकर इसे हल किया. अब वे बस सोते हैं. हालांकि, अदालत ने कहा कि समर्पित फीडिंग स्पॉट ढूंढना समय की आवश्यकता है और एक बार पहचान हो जाने के बाद, फीडिंग, स्टरलाइज, टीकाकरण और नपुंसक करने के लिए वित्तीय और शारीरिक दायित्व स्वयंसेवकों या फीडरों पर आ जाएगी. जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस नीला गोखले की खंडपीठ ने सीवूड एस्टेट लिमिटेड के स्वयंसेवकों की एक लिस्ट मांगी है, जो परिसर के अंदर आवारा कुत्तों को खाना खिलाते हैं, और उनकी देखभाल करने और सभी लागतों को वहन करने के लिए तैयार है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने एक एनजीओ 'द वेलफेयर ऑफ स्ट्रे डॉग्स' से मदद मांगी थी.

मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च को

1 इस बीच, उच्च न्यायालय ने मामले को 20 मार्च, 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया है.नवी मुंबई में सीवुड्ड में एक आवासीय परिसर के छह निवासियों ने एक याचिका दायर की थी जिसमें नवी मुंबई नगर निगम को सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों के लिए भोजन क्षेत्र की पहचान करने का निर्देश देने की मांग की गई थी.

2 गौरतलब है कि निवासियों ने आवारा पशुओं को खिलाने के लिए उनके हाउसिंग सोसायटी द्वारा उन पर लगाए गए जुर्माने को भी चुनौती दी है.

याचिकाकर्ता और आवासीय परिसर का

3 प्रबंधन करने वाली सीवूड एस्टेट लिमिटेड इस मुद्दे का विरोध कर रही है. उसके द्वारा अधिकारियों की भूमि पर अपनी सीमाओं की परिधि में तीन फीडिंग स्पॉट की पहचान की गई थी.

म्युनिसिपैलिटी भी अपना फर्ज निभाए

आवारा कुत्तों के लिए हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, पर मुद्दा काफी बड़ा है. सिर्फ नवी मुंबई महानगरपालिका को ही नहीं, देश की सभी सिविक बॉडीज को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी. उन्हें नागरिकों को सेंसिटाइज करने के लिए प्रोग्राम चलाना होगा. इससे 'एनिमल बर्थ कंट्रोल' अभियान में भी मदद मिलेगी.

– एड. सिद्धविद्या, मानवाधिकार कार्यकर्ता